तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
8-10-20	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा प्राथमिक बटवारा रिपोर्ट पेश नहीं की जा रही है अतः पुनः रिमाइंडर जारी हो। इन्तजार पालना रिपोर्ट तहरीर जारी हो। पत्रावली दिनांक 9-12-2020 को पेश हो।
9-12-20	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते इन्तजार पालना दिनांक 30-12-20 को पेश हो।
30-12-20	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते इन्तजार पालना दिनांक 7-1-2021 को पेश हो।
7-1-2021	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित। बटवारा कमिश्नर रिपोर्ट तहसीलदार इन्द्रगढ़ की रिपोर्ट पत्र क्रमांक: भू.अ./2019/135 दिनांक 30-1-2020 से दिनांक 14-12-2020 को इस न्यायालय को प्राप्त हुई है। बटवारा रिपोर्ट वकील वादी को अवलोकनार्थ दिखाई गई वकील वादी बटवारा रिपोर्ट से सहमत है। बटवारा कमिश्नर रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम देईखेड़ा के खाता सं. 118 पृष्ठ सं. 186 में वर्णित ख.नं. 490/0.95 491/0.86 किता 2 योग रकबा 1.81 हैक्टेयर में से वादिया रामनारायणी पत्नी किशनलाल [illegible] के हिस्से में खसरा नं. [illegible] हैक्टेयर भूमि रहेगी। [illegible] खसरा सं 490 रकबा 0.95 हैक्टेयर ग्राम देईखेड़ा मुताबिक जमाबंदी में अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:27:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खातेदारो के हिस्से अनुसार यथावत रहेगी एव खाता स. 489 कुयान 118 में वर्णित ख.न. 827 रकबा 0.65 हे ख.न. 828/1 रकबा 0.12 हेक्टर में कन्हैयाल हिस्सा 77/924 धर्मराज हिस्सा 77/924 पिता मदनलाल कच्चीबाई हिस्सा 77/924 पत्नी स्व मदनलाल, सुगनाबाई हिस्सा 77/924 सन्जूबाई हिस्सा 77/924, सरस्वतीबाई हिस्सा 77/924 पुत्रिया मदनलाल, छोटूलाल आ लाल हिस्सा 51/154, राजू हिस्सा 13/154 पिता गोपाल विमला हिस्सा 13/154 पुत्री गोपाल जाति मीना का पेड रहेगा शामिल बैंक बकाया रहेगा। तदनुसार आन्तिम डिक्री जारी हो पत्रावली पर शेष कार्यवाही नही रहने से कैसल कुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (signature) **उपखण्ड अधिकारी** **नारोली (बून्दी)**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:27:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी

वाद संख्या :– 41/2017 पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक :– 26.07.2017 गोरधनलाल मीना (आर.ए.एस.)

बउनवान

1. रामनारायणी बाई पत्नी श्री किशनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम डडवाडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी

– वादी –

बनाम

1. छोटूलाल आत्मज लाला जाति मीणा निवासी ग्राम देईखेडा तहसील इन्द्रगढ, बून्दी
2. राजू आत्मज गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ, बून्दी
3. विमला बाई पुत्री गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ, जिला बून्दी
4. धर्मराज आत्मज मदनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम देईखेडा तहसील इन्द्रगढ, जिला बून्दी
5. कन्हैयालाल आत्मज मदनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम देईखेडा तहसील इन्द्रगढ, जिला बून्दी
6. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ जिला बून्दी

– प्रतिवादीगण –

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट वाद बटवारा

– निर्णय –

दिनांक – 16.08.2018

वादिनी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट पेश कर कथन किया कि वादिनी के संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 186 खसरा संख्या 490 रकबा 0.95 हैक्टर खसरा संख्या 491 रकबा 0.86 हैक्टर, खसरा संख्या 827 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा संख्या 828/1 रकबा 0.12 हैक्टर कुल खसरा किता 4 कुल रकबा 2.58 हैक्टर कृषि [illegible] ग्राम देईखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में स्थित है। जिसमें [illegible] हिस्सा 1/3 निहित है। वादिनी ने उक्त आराजी मदनलाल [illegible] रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.04.2009 को खरीद[illegible] आ रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:27:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

चूंकि उक्त आराजी संयुक्त शामलाती खाते में अंकित होने से वादिनी को राजस्व लगान पिलाई, ऋण इत्यादि जमा कराने हेतु परेशानी उत्पन्न होती हैं एवं पक्षकारान के मध्य बटवारा नही होने से सीमा बन्दी के सम्बन्ध में आये दिन विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिये वादिनी को यह आवश्यक हो गया है कि उक्त संयुक्त आराजी में स्थित अपना 1/3 हिस्से का राजस्व रिकार्ड में अलग कराकर अपना नाम दर्ज करावें। वादिनी द्वारा प्रतिवादीगण से कई बार भूमि का विधिवत बटवारा किये जाने का निवेदन किया गया। प्रतिवादीगण ने बटवारा कराने से दिनांक 13.11.2016 को साफ मना कर दिया। और अन्त में निवेदन किया गया कि वादिनी के 1/3 हिस्से का राजस्व रिकार्ड में बटवारा कर पृथक से वादिनी का खाता कायम किया जावें।

वादिनी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 बाद तामील सम्मन नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादिनी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–72 प्रदर्श 1, एवं विकय पत्र की छाया प्रति पेश की है।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि वाद विषयक आराजी वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र वर्ष 2009 में कय की गई थी। तभी से वादिनी कयशुदा कृषि भूमि पर सहखातेदार के रूप में काबिज काश्त चली आ रही है। खाता शामलाती होने से ऋण लेने, लगान, पिलाई जमा कराने में वादिनी को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है और प्रतिवादीगण बटवारा नही कराना चाहते तथा वादिनी का वाद पत्र डिकी किया जावें। वादिनी के अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं मनन किया गया। संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2069–72 का अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के वादिनी का हिस्सा 1/3 संयुक्त खातेदारी में बतौर सहखातेदार काबिज काश्त दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है। अतः वदिनी बटवारा कराकर पृथक से खाता कायम कराने की अधिकारी होने से वादिनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर विधिवत बटवारा किया जाना उचित समझते है।

अतः वादिनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर दावा प्राथमिक डिकी किया जाता है। तहसीलदार इन्द्रगढ को बटवारा कमीश्नर नियुक्त कर निर्देश दिये जाते है कि जमाबन्दी सम्वत [illegible] 72 नया खाता संख्या 186 पुराना खाता संख्या 190 खसरा नम्बर 49[illegible] रकबा [illegible]95 हैक्टर, खसर नम्बर 491 रकबा 0.86, खसरा नम्बर 82[illegible] रकबा 0.65 हैक्टर खसरा नम्बर 828/1 रकबा 0.12 हैक्टर कुल खसरा किता 4 योग रकबा 2.58 हैक्टर वाके ग्राम देईखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि का राजस्थान टिनेन्सी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:27:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

धारा 53 एवं राजस्व मण्डल राजस्थान विभाजन नियम (18 से 21) को ध्यान में रखते हुये एवं रास्ते का निर्धारण करते हुये पक्षकारान की उपस्थिति में विधिवत प्राथमिक बटवारा कर बटवारा रिपोर्ट नियत दिनांक 04.10.2018 से पूर्व न्यायालय हाजा में पेश करें। कमीश्नर फीस 200/– रु निर्धारित की जाती है। जो वक्त बटवारा वादी द्वारा अदा की जावेगीं।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 16.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:27:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रा० डिगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नैनवाँ

व इजलास श्री गोरधनलाल मीना R.A.S.

1 रामनारायणी बाई पत्नि किशनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम डाबी तहसील इन्द्रगढ़ बूंदी वादिनी बनाम 1 छोटूलाल आत्मज लाला जाति मीणा निवासी ग्राम डेईखेड़ा तहसील इन्द्रगढ़ वगैरह

प्र.न.-D.

दावा बाबत 53 आर-टी-ए.

मुकदमा नम्बर 41/दावा/2017 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री राजेन्द्र कुमार जैन एड मिनजानिब मुद्दई रूबरू

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादिनी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है तहसीलदार इन्द्रगढ़ को बटवारा कमिश्नर नियुक्त कर निर्देश दिये जाते हैं कि जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 खाता सं. 186 ख.नं. 490 रकबा 0.95 है. ख.नं. 491 रकबा 0.86 हैक्टर ख.नं. 827 रकबा 0.65 हैक्टर ख.नं. 828/1 रकबा 0.12 हैक्टर ख. किता 4 योग रकबा 2.58 हैक्टर वाके ग्राम डेईखेड़ा तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित कृषि भूमि आर.टी.ए. की धारा 53 एवं राजस्व मण्डल विभाजन नियम (18 से 31) को ध्यान में रखते हुए एवं रास्ते का निर्धारण करते हुए पक्षकारान की उपस्थिति में समुचित प्राथमिक बटवारा कर बटवारा रिपोर्ट मय नक्शा ड्रेथ के डिमांड

निज मुबलिग बाबत खर्चा इन P.T.D

मुकद्दमें के मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16-8-2018 माह

सन को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा

मुहर

उपखण्ड अधिकारी

नैनवां (बून्दी)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. [illegible]		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:27:49 IST

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर [illegible] के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Scanned with CamScanner

4-10-2018 से पूर्व न्यायालय में पेश करे। कमीशनर फीस दौ सौ
जाती है जो वस्त बटवारा कार्यवाही व्यय अदा की जावेगी।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

आज अदालत......
व इजलास......

2. राजू आत्मज गोप्याल जाति मीणा निवासी डेडीखेड़ा तहसील इन्द्रगढ़
3. विमलाबाई पुत्री गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ़
4. धर्मराज पुत्र मदनलाल जाति मीणा निवासी डेडीखेड़ा तहसील इन्द्रगढ़
5. कन्हैयालाल आत्मज मदनलाल जाति मीणा निवासी डेडीखेड़ा —— " ——
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ बून्दी

— अप्रार्थीगण...

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:27:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अन्तिम डिगरी व मुकदमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सावेरी

व इजलास प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

1 रामनारायण पुत्र बाई पत्नी किशनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम डडवाड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी बनाम (1.) छोटुलाल आ. लाला जाति मीणा निवासी ग्राम डेडीखेड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला-बुन्दी वगैरह। PTO.

दावा बाबत 53 R.T. Act

मुकदमा नम्बर 41/दावा/17 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री राजेन्द्र कुमार जैन एड. मिनजानिब मुद्दई रूबरू

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादिया का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है रिपोर्ट तरकसम कमिश्नर तहसीलदार इन्द्रगढ़ के खाता सं. 118 एवं खाता सं. 489 वाके ग्राम देईखेड़ा तहसील इन्द्रगढ़ में वर्णित ख.नं. 490 रकबा 0.95 हे 491 रकबा 0.86 हे ख.नं. 827 रकबा 0.65 हे ख.नं. 828/1 रकबा 0.12 हेक्टर किता-4 रकबा 2.58 हेक्टर में से ख.नं. 491 रकबा 0.86 हेक्टर वादिया रामनारायणीबाई पत्नी किशनलाल मीणा के हिस्से में रहेगी। साहेन बाहादुर जमाबन्दी →PTO 2

निज रहेगा मुबलिग बाबत खर्चा इन

मुकदमें के मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 7-1-2021 माह

सन को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा

उपखण्ड अधिकारी

[illegible] (बून्दी)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहान		
5. खर्चा गवाहान			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7.		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:47:49 IST
Reason: SelfAttested

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे वह उसे अदालत को दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Scanned with CamScanner

अन्तिम डिगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

व इजलास प्रमोद कुमार आर.ए.एस. मुकाम लाखेरी

1 रामनारायणी बाई पत्नि किशनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम डडवाडा तहसील इन्द्रगढ जिला बुन्दी बनाम (1) छोटूलाल आ. लाला जाति मीणा निवासी ग्राम देईखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला - बुन्दी वगैरह।

PTO.

मुकदमा नम्बर 41/दावा/17 दावा बाबत 53 R.T. Act

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे सन

श्री राजेन्द्र कुमार जैन एड. मिनजानिब मुद्दई रूबरू व हाजिरी

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादिया का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा दरख्वास्त कमिश्नर तहसीलदार इन्द्रगढ के खाता सं. 118 एवं खाता सं. 489 वाके ग्राम देईखेडा तहसील इन्द्रगढ में वर्णित ख.न. 490 रकबा 0.95 है 491 रकबा 0.86 है ख.न. 827 रकबा 0.65 है ख.न. 828/1 रकबा 0.12 हैक्टेयर किता-4 रकबा 2.58 हैक्टेयर में से ख.न. 491 रकबा 0.86 हैक्टेयर वादिया रामनारायणीबाई पत्नी किशनलाल मीणा के हिस्से में रहेगी। साहेब बाहादुर जमाबन्दी

निज रहेगा। मुबलिग बाबत खर्चा इन → PTO 2

मुकद्दमें के मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 7-1-2021 माह

सन को जारी की गई।

दस्तखत

मुहर ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:27:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

2. राजू आत्मज गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम उतराना इन्द्रगढ़ (बूंदी).

3. विमलाबाई पुत्री गोपाल जाति मीणा निवासी उतराना तहसील इन्द्रगढ़

4. धर्मराज आ. मदनलाल जाति मीणा निवासी देईखेड़ा तहसील इन्द्रगढ़

5. कन्हैयालाल आ. मदनलाल जाति मीणा ———— " ———— " ————

6. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ (बूंदी).

—प्रतिवादीगण

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बूंदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:27:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner